राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 355/2024

सरला मिश्रा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर।
4. पीईईओ सह प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलथाना, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नाडा जोहडा, पलथाना में कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.08.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 06 फतेहपुर में कार्य व्यवस्थार्थ अस्थाई तौर पर आगामी आदेशों तक लगाया गया। उक्त विद्यालय में अपीलार्थी ने दिनांक 06.08.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या–2 के आदेश दिनांक 31.12.2021 (अनुलग्नक–6) द्वारा उन शिक्षकों को उनके मूल स्थान के लिए कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी किया, जो कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति के तहत काम कर रहे है। उक्त आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या–3 ने आदेश दिनांक 20.04.2022 (अनुलग्नक–7) द्वारा मूल पदस्थापन स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाडा जोहडा, पलथाना, धोद के लिए कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति की अनुमति देने के लिए संयुक्त निदेशक को दिनांक 10.05.2022 (अनुलग्नक–8) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा संयुक्त निदेशक ने अपीलार्थी की शिकायतों को देखते हुए फिर से राजकीय उच्च प्राथमिक

विद्यालय, नं. 6 फतेहपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 15.07.1965 है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृति 31.07.2025 को है अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवल 17 महीने शेष है (अनुलग्नक–9)। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में भी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष के भीतर स्थानान्तरण नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए है। प्रत्यर्थी संख्या–3 के आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा उन शिक्षकों को उनके मूल स्थान के लिए कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी किया, जो कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति के तहत काम कर रहे है। प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नं0 6, फतेहपुर शेखावटी ने सीबीईओ, फतेहपुर को पत्र दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–10) द्वारा अपीलार्थी को यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2024 (अनुलग्नक–11) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दमा, एचआईवी, उक्त रक्त चाप की बीमारी से पीड़ित है, जिसका लगातार इलाज चल रहा है और डॉ0 ने उसे नियमित यात्रा एवं धूल से बचने की सलाह दी है परन्तु विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) को निरस्त कर स्वामी विवेकानन्द राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 06 फतेहपुर शेखावटी, सीकर में प्रतिनियुक्ति पर यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.08.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 06 फतेहपुर शेखावटी, सीकर में शिक्षण व्यवस्थार्थ पूर्णतया अस्थाई तौर पर आगामी आदेशों तक लगाया गया था। आलौच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा उन शिक्षकों को उसके मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी किया, जो कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति के तहत काम कर रहे है। इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है।

उक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाने का का कोई विधिक आधार नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य